निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 90 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग (पिथौरागढ़)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग (पिथौरागढ़) के माह 09/2015 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार एवं श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,एवं श्री अंकित पांडे लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03/12/2018 से 11/12/2018 तक .....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा श्री पी. के. श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा श्री दिनेश कुमार (पर्यवेक्षक) द्वारा दिनांक 03/09/2015 से 11/09/2015 तक श्री .....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 12/2012 से 08/2015 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

(iii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: **.....**

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		गैर स्थापना		स्थापना		अवशेष			
							गैर स्थापना		स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	(5054) (3054)	-	511.2 145.13	511.2 145.13	355.19	337.24	-	-	-	17.95
2016-17	(5054) (3054)	-	1691.27 215.00	1691.27 215.00	419.61	393.17	-	-	-	26.44
2017-18	(5054) (3054)	-	2512.18 190.68	2498.03 185.89	486.05	480.67	-	14.15 4.79	-	5.38
2018-19 (10/2018 तक)	-	-	1568.96	1116.73	421.23	311.99	-		-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(v) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "बी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः (संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाये)

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
2. प्रमुख अभियंता/ विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
3. मुख्य अभियंता, स्तर-II, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़
4. अधीक्षण अभियंता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विबग, पिथौरागढ़
5. अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग (पिथौरागढ़)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग (पिथौरागढ़)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 तथा 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के पत्ताधार चैरपात मोटर मार्ग के किमी 12 से सुगड़ी तक पुनः निर्माण तथा सुधार कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .. .. से ... तक शून्य निरीक्षण किया गया।
2. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 3/2018 तथा 3/2016 तक की गई।

3. फार्म 51: माह 09/2018 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम शून्य

   भाग द्वितीय ` 1583863.68

4. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 10351462

   (ख) सामग्री क्रय NIL

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप ` 71679125.42

   (ङ) भण्डार ` 5494178.25

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1: रु 170.54 लाख का व्ययवर्तन किया जाना एवं स्वीकृति के 3 वर्ष पश्चात भी कार्य पूर्ण न किया जाना।

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट पव्वाधार चौरपाल मोटर मार्ग के किमी० 12 से सुगड़ी तक पुन: निर्माण तथा सुधार कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु 1041.61 लाख की शासनादेश संख्या 749/III(2)/16-75 (ए०क्यू०)/2011 दिनांक:09 फरवरी 2016 को प्राप्त हुई। जिस पर रु 1041.61 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति दिनांक:12 मई 2016 को मुख्य अभियंता स्तर-2 लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ द्वारा प्रदान की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु दो अनुबंध 0.00 किमी० से 09 किमी० तक मैसर्स रिद्धि सिद्धि कन्सट्रक्सन के साथ अनुबन्ध संख्या 04/SE. (3rd)/ 2016 दिनांक 09.09.2016 को लागत रू 46292819.29 का एवं 09 किमी० से 19 किमी० तक श्री राम सिंह के साथ अनुबन्ध संख्या 01/SE. (3rd)/ 2016 दिनांक 10.08.2016 को लागत रू 49751872.62 का गठित किया। मैसर्स रिद्धि सिद्धि कन्सट्रक्सन के अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 09.09.2016 व समाप्ति की तिथि 08.09.2017 तथा श्री राम सिंह के अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.08.2016 व समाप्ति की तिथि 09.08.2017 थी।

अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि:

1. उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो के अवलोकन मे पाया गया कि उक्त कार्य हेतु श्री राम सिंह ठेकेदार के साथ गठित अनुबंध संख्या: 01/SE. (3rd)/ 2016 दिनांक 10.08.2016 लागत रू 497.51 लाख के सापेक्ष 09 देयको (9thFinal biil) के अनुसार रु 509.08 लाख भुगतान किया गया तथा उक्त कार्य हेतु मैसर्स रिद्धि सिद्धि कन्सट्रक्सन के साथ गठित अनुबन्ध संख्या 04/SE. (3rd)/ 2016 दिनांक 09.09.2016 लागत रू 462.92 लाख के सापेक्ष रु 208.80 लाख (5 देयकों के अनुसार रु 198.80 लाख एवं 10.00 लाख Secure advance) का भुगतान किया गया। दोनों अनुबन्धो के सापेक्ष देयकों के अनुसार माह 10/2018 तक कार्य पर कुल **रु 717.89 लाख** (509.08+208.80) का ही व्यय किया गया था।किन्तु माह 10/2018 के प्रपत्र 64 के अनुसार कार्य पर कुल 888.43 लाख का व्यय किया जा चुका था। यानि कि रु 170.54 लाख का बिना बिलो के ही अनुचित भुगतान किया गया था।

2. आगे अभिलेखो के अवलोकन मे पाया गया कि 09 किमी० से 19 किमी० तक श्री राम सिंह ठेकेदार द्वारा तय समय सीमा कार्य पूर्ण कर लिया गया। किन्तु मैसर्स रिद्धि सिद्धि कन्सट्रक्सन को अधीक्षण अभियंता, तृतीय वृत, लो०नि०वी० पिथौरागढ़ द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक की समय वृद्धि प्रदान करने के पश्चात भी अतिथि तक कार्य पूर्ण नही किया गया था। न ही उसके पश्चात समयवृद्धि स्वीकृत की गयी थी और न ही अनुबंध की शर्तानुसार ठेकेदार पर LD लगाई गयी थी तथा न ही कार्य न करने पर अनुबंध का अंतिमिकरण किया गया। बल्कि उसके पश्चात भी ठेकेदार को नियमो के विपरीत बिना समयवृद्धि स्वीकृति के ही रु 10.00 लाख का अनुचित भुगतान किया गया था।

सम्प्रेक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि कार्य पर अवशेष धनराशि का अन्य कार्यो पर व्यय किया है। जिसका समायोजन कर लिया जायेगा तथा यह भी अवगत करवाया गया कि ठेकेदार को समय वृद्धि स्वीकृति की प्रत्याशा मे भुगतान किया गया है। कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार से पत्राचार किया जायेगा।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही है क्योकि उक्त कार्य के रु 170.54 लाख व्ययवर्तन हेतु किसी भी सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति नही ली गयी थी। न ही इस सम्बंध मे खण्ड द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए गये। जबकि अधिकांश धनराशि विगत वित्त वर्षो मे ही भारित की गयी थी,जिसका समायोजन अतिथि तक (लेखापरीक्षा तिथि) तक भी नही किया गया था । साथ ही बिन्दु संख्या -2 पर भी उत्तर मान्य नही है क्योकि ठेकेदार को एक बार समयवृद्धि दिये जाने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा लगभग 40 प्रतिशत कार्य (मेमर्स रिद्धी सिद्धी कन्सट्रक्सन द्वारा विगत दो वर्षो में ` 462.92 लाख के सापेक्ष मात्र ` 198.62 लाख का ही कार्य किया गया) ही किया गया था, जिससे स्थानीय जनता को मार्ग का लाभ नही मिल पा रहा था। साथ ही समय पर कार्य न पूर्ण करने के कारण अनुबंध की शर्तो के अनुसार ठेकेदार पर **liquidated damages** अधिरोपित किया जाना चाहिए था ।

अतः रु 170.54 लाख का व्ययवर्तन किया जाना एवं स्वीकृति के 3 वर्ष पश्चात भी कार्य पूर्ण न किया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर- 2 ठेकेदार पर लगाये गये अर्थदण्ड की धनराशि रु0 19.87 लाख की वसूली न किया जाना ।

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट मे बसिखेत पोखरी भिनगड़ी खैरोली मोटर मार्ग के सुधार एवं हाटमिक्स द्वारा डामरीकरण के कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु 1341.30 लाख की शासनादेश संख्या 364/II(2)/14-48 (प्रा०आ0)/2013 दिनांक: 06 फरवरी 2014 को प्राप्त हुई। जिस पर रु 1341.30 लाख की तकनीकी स्वीकृति दिनांक: 13 जनवरी 2015 को मुख्य अभियंता स्तर-2 लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा प्रदान की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु मैसर्स N. K. G Infrastructure Ltd. के साथ अनुबन्ध संख्या 22 /SE. (3rd)/ 2015 दिनांक 16.02.2015 को लागत रू 132497915.00 का गठित किया। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 16.02.2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 15.08.2016 थी। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड धारचूला पिथोरागढ़ के उक्त कार्य के समयवृद्धि से संबन्धित अभिलेखो के अवलोकन मे पाया गया कि उक्त कार्य को समय पर पूर्ण न करने पर अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड लो०नि०वी० बेरीनाग की संस्तुति के आधार पर अधीक्षण अभियंता, तृतीय वृत लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ द्वारा दिनांक: 31.03.2018 तक 1.50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के साथ समयवृद्धि स्वीकृत की गयी। किन्तु उसके पश्चात भी ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नही किया गया। साथ ही खंड द्वारा अधीक्षण अभियंता द्वारा लगाई गयी पैनल्टी की धनराशि रु 1987468.72 (1.5% of 132497915.00) की भी कटौती/वसूली लेखापरीक्षा तिथि तक भी नही की गयी थी। जो ठेकेदार के आगामी देयक से वसूल किया जाना चाहिए था।

उक्त के सम्बन्ध लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अवगत करवाया गया कि अर्थदण्ड की धनराशि रु0 19.87 लाख संबन्धित ठेकेदारों से कटौती कर ली जायेगी।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही है क्योकि उक्त कार्य पूर्ण न करने पर लगाई गई अर्थदण्ड की धनराशि रु0 19.87 लाख ठेकेदारों से यथाशीघ्र वसूल किया जाना था। जबकि अर्थदण्ड लगाये जाने के पश्चात भी ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयक पर खण्ड द्वारा भुगतान किया गया था।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः 3 - धनराशि रु 103.51 लाख की वसूली/समायोजन लंबित रहना।

खण्ड की माह 10/2018 के प्रकीर्ण अग्रिम से संबन्धित प्रपत्र-70 एवं पंजिका के अवलोकन में पाया गया कि माह 10/2018 तक खण्ड मे Part-1 के अनुसार विभिन्न फ़र्मों/ अधिकारियों/ कर्मचारियो के नाम कुल रु 10351462.00 की धनराशि असमायोजित पड़ी थी। जो निम्न विवरण के अनुसार 07 व्यक्ति/फ़र्म को प्रदान किए गए थे। अभिलेखो की नमूना जांच मे यह भी पाया गया कि खंड द्वारा I.O.C Haldwani को माह 03/2017 मे रु 58.14 लाख का अग्रिम दिया गया था। जिसके समायोजन के बिना ही पुन: माह 03/2018 मे रु 12.96 लाख का अग्रिम प्रदान किया गया जिसका समायोजन लेखापरीक्षा तिथि तक भी नही किया गया था। साथ ही श्री दीपक चुफाल को 03/2018 मे Max Phalt की Supply हेतु रु 35.22 लाख का प्रकीर्ण अग्रिम दिया गया था, जबकि अभिलेखो मे केवल रु 21.02 लाख का ही प्रकीर्ण अग्रिम दर्शाया गया था।

Month from which transaction relates	Particulars of item(to be group by class of MWA) refered to para 578 of FHB volume-VI	Opening Balance	वसूली/ समायोजन की गयी धनराशि	वसूली/ समायोजन हेतु लंबित धनराशि (रु. मे)
1	2	3	4	5
-	Sri Pratap Singh Beldar (Dak Runner)	18764.00	0.00	18764.00
03/18	Shri Bajrang Filling	1048771.00	0.00	1048771.00
06/16	Sri Kharak Singh mate	500.00	0.00	500.00
03/18	Bharat sanchar nigam Ltd.	40003.000	0.00	40003.000
03/17	I.O.C Haldwani	7110000.00	0.00	7110000.00
03/17	E & M Div. Pithoragarh	31300.00	0.00	31300.00
03/2018	Shri Deepak Chuphal Didihat	2102124.00	0.00	2102124.00
Total		**10351462.00**	**0.00**	**10351462.00**

साथ ही प्रकीर्ण अग्रिम के पार्ट-2 मे भी रु 46988776.98 की धनराशि कई वर्षो से असमायोजित पड़ी थी। किन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक भी उनका समायोजन/वसूली नही की गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा बिन्दु इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त धनराशि का शीघ्र ही समायोजन/वसूली कर ली जाएगी तथा यह भी अवगत करवाया गया कि श्री दीपक कुमार को दी गयी धनराशि रु 35.22 लाख मे से रु 14.21 अन्य कार्यो पर भारित किए जाने के कारण केवल रु 21.02 लाख ही दर्शाई गयी है,जिसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा I.O.C Haldwani को रु 12.96 लाख की धनराशि का भुगतान त्रुटिवश कोषागार से I.O.C Haldwani को प्राप्त नही हुआ है। जिसके लिए कोषागार से पत्राचार किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि उक्त प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि कई वर्षो से समायोजित/वसूली हेतु लंबित है। श्री दीपक कुमार ठेकेदार को दिये गये प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि के सापेक्ष कम धनराशि दर्शाना भी वित्तीय नियमानुसार उचित नही है साथ ही खण्ड द्वारा I.O.C Haldwani को पूर्व मे दी गयी धनराशि रु 58.14 का समायोजन किए बिना ही रु 12.96 लाख की धनराशि दिया जाना भी वित्तीय नियमानुसार गलत है। साथ ही इस संबंध मे उपकोषागार से किए गए पत्राचार से संबन्धित कोई साक्ष्य भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया ।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-4 मासिक लेखा माह 3/2013 के स्टॉक (डेबिट पक्ष) में रु०77,30,391/= एवं स्टॉक क्रेडिट पक्ष में रु० 63,13,558/= की त्रुटिपूर्ण धनराशि भारित किया जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० बेरीनाग की लेखापरीक्षा के दौरान माह 03/2018 की जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा मासिक लेखे के प्रपत्र 72 में माह के दौरान रु० 77,30,391/= का स्टॉक क्रय दर्शाते हुये शासकीय लेखे के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत suspense, Debit to stock में शामिल किया गया है परन्तु खण्ड द्वारा स्टॉक क्रय से संबन्धित कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के साथ-साथ प्रपत्र -9 (Abstract of stock receipt) में माह के दौरान स्टॉक क्रय शुन्य दर्शाया गया है । इसी प्रकार प्रपत्र-73 के debit पक्ष में माह के दौरान रु० 63,30,678/- का स्टॉक जारी दर्शाते हुये शासकीय लेखे में शामिल किया गया है परन्तु माह 3/2018 के प्रपत्र 10 (Abstract of stock issued) मे माह के दौरान मात्र रु०17,120/- का स्टॉक जारी किया गया है यानि रु० 63,13,558/- की धनराशि का स्टॉक बिना स्टॉक से जारी किये ही लेखे में शामिल किया गया है ।

स्टॉक की उक्त भिन्नता की ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि उक्त धनराशि का समायोजन माह 4/2017 से 3/2018 तक का है क्योंकि पूर्व के सम्बंध में अधिकारी द्वारा stock A/c उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि माह 3/2018 में कुल धनराशि रु० 77,30,391/- का फार्म-9 एवं रु० 63,60,678/- का फार्म -10 द्वारा राशियो को अंकित किया गया है जबकि उक्त धनराशि माह 4/2017 से 3/2018 की अवधि के है । अतः उक्त अवधि के stock A/c की सत्यता की जांच कर आख्या कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

लेखापरीक्षा को खण्ड का उत्तर "उक्त धनराशि का समायोजन माह 4/2017 से 3/2018 तक का है जो माह 3/2018 के फार्म-9 एवं फार्म-10 द्वारा किया गया है" मान्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा न तो लेखापरीक्षा के समक्ष स्टॉक क्रय से संबन्धित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये और न ही माह 4/2017 से 3/2018 तक की अवधि में क्रय स्टॉक एवं जारी किये गये स्टॉक के समायोजन से संबन्धित लेखे में कोई प्रवष्टि पायी गयी ।

अतः प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-5 ठेकेदारों के देयकों से रु० 7,15,758/- की रॉयल्टी ,रु० 83,934/- का लेबर सैस, रु०1,55,892/-के आयकर की कटौती न किया जाना ,रु० 2160/- का अधिक भुगतान एवं ठेकेदार को बिना जीएसटी नंबर के रु० 57,434/- का भुगतान किया जाना एवं ` 22,000 के अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० बेरीनाग की लेखापरीक्षा के दौरान माह 03/2018 की जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा निम्न धनराशियों की कटौती ठेकेदारो के देयकों से नहीं की गयी हैं :

1॰ ठेकेदारो के देयकों से कुल रु० 7,15,758/- की कम रॉयल्टी काटी गई है (विवरण संलग्न)|

2. बिना GST No॰ के ठेकेदार को रु 57,434/- का भुगतान किया गया (विवरण संलग्न) |

3॰ वाउचर संख्या 117 दिनांक 24.3.2018 (अनुबंध संख्या 14/AE-II दिनांक 21.3.2017) द्वारा ठेकेदार को कुल देय रु० 2,94,239/- के सापेक्ष रु० 2,96,399/- का भुगतान किये जाने से ठेकेदार को रु० 2160/- का अधिक भुगतान किया गया |

4॰ वाउचर संख्या 108 दिनांक 23.3.2018 (अनुबंध संख्या 40/AE-I दिनांक 11.11.2016 द्वारा ठेकेदार को कार्य निष्पादन हेतु रु० 8,54,967/- की देय धनराशि से 2% आयकर रु० 17,099/- एवं लेबर सैस 1% रु० 8,550/- की कटौती की जानी थी परंतु खण्ड द्वारा ठेकेदार के देयक से आयकर के रूप मे मात्र रु० 11,974/ की कटौती की गई है इस प्रकार ठेकेदार के देयक से आयकर रु० 5,125/- एवं लेबर सैस रु० 8,550/- की कम कटौती की गई है |

5. वाउचर संख्या 17 दिनांक 6.11.2018 (अनुबंध संख्या 30/SE-III दिनांक 02.01.2017) द्वारा ठेकेदार को Work executed since previous bill के आधार पर रु० 75,38,374/- देय थी जिस में से खण्ड द्वारा रु० 5,38,374/= O॰T के रूप में रोकते हुये ठेकेदार को रु०70,00,000/- का भुगतान किया गया । जबकि कुल देय धनराशि रु० 75,38,374/- का 2% आयकर के रूप में यानि रु० 1,50,767/-, लेबर सैस 1% के रुप में रु० 75,384/- एवं वाउचर के साथ संलग्न रॉयल्टी विवरण के आधार पर रु० 4,23,087/- की रॉयल्टी नहीं काटी गई ।

6. चौडमनया आमहाट मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य समय पर पूरा न किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध ` 22,000 का अर्थदण्ड, अधीक्षण अभियंता द्वारा समयावृद्धि की

स्वीकृति प्रदान करते समय लगाई गई थी जिसकी वसूली आतिथि तक (लेखापरीक्षा तिथि तक) खण्ड द्वारा नहीं की गई।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर खण्ड द्वारा अपने उतर में बतलाया कि उक्त वसूली ठेकेदारों से की जायेगी |

अतः प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

विभिन्न वाउचरो से कम रॉयल्टी की कटौती किये जाने से संबन्धित विवरण

S.No	Vr. No	Date	Agreement No.	Contractors Name	Actual Royalty due (Rs.)	Amt. of Royalty deducted (Rs.)	Less Royalty deducted (Rs.)
1	79	21.3.2018		Sh. Mesh Chandra pant	8,757/-	875/-	**7,882/-**
2	100	21.3.2018	81/EE dt. 30.12.2016	Sh. Bhupal Singh Satayal	2,55,238/-	1,66,291/-	**88,947/-**
3	144	23.3.2018	69/AE-III dt. 17.1.2018	Smt. Geetanjali Pandey	25,172/-	00	**25,172/-**
4	63	18.03.2017	64/ EE dt.28.10.2016	Sh.Umesh dasila	1,69,394/-	76,669/-	**92,725/-**
5	88	22.3.2018	17/EE dt.6.2.2014	Shri. Tara Chand	57,002/-	53,497/-	**3,505/-**
6	95 &96	23.3.2018	22/SE-III dt.6.2.2015	N.K.G Infrastructure	1,09,844/- 2,18,869/-	3,20,081/-	**8,632/-**
7	35A	8.3.2017	56/EE dt.24.12.2016	Sh. Bhupal Singh Satayal	75,674/-	51,553/-	**24,121/-**
8	108	23.3.2017	40/AE-I dt.11.11.2016	Sri.Raj Laxmi const.	41,687/-	00	**41,687/-**
10	17	6.11.2018	30/SE-III dt.2.1.2017	Sh. Mesh Chandra pant	4,23,087/-	00	**4,23,087/-**
				total			**7,15,758/-**

G S T Paid without contractor's GST No.

S.No	Vr.No	Dated	Contractors /Supplier	Amt. of GST Paid (Rs)
1	86	21.3.2018	Sushil kumar	18,101/-
2	237 &238	30.3.2018	Sushil kumar	23,184/- 16,149/-
			Total	57,434

Less Income Tax deducted from contractors Bill

S.No	Vr.No	Dated	Ag.No	Income Tax due(Rs.)	Income Tax deducted(Rs.)	Less income Tax deducted(Rs.)
1	108	23.3.2017	40/AE-I dt 11.11.2016	17,099/-	11,974/-	5,125/-
2	17	6.11.2018	30/SE-II dt 2.1.2017	1,50,767/	00	1,50,767/-
			Total			1,55,892/-

Less Labour Cess deduction

S.No	Vr.No.	Dated	Ag.No.	Due Labour cess	Deducted labour cess	Less Labour Cess deducted
1	108	23.3.2017	40/AE-I dt 11.11.2016	8,550/-	00	8,550/-
2	17	6.11.2018	30/SE-II dt 2.1.2017	75,384/-	00	75,384/-
			Total			83,934/-

भाग -03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
67/1995-96	2	1
31/2001-02	1	1
06/2003-04	2	-
26/2004-05	1	1
29/2005-06	1	9
64/2006-07	1	3
56/2010-11	2	2
56/2012-13	1	1, 2, 3, 4
60/2015-16	-	1, 2 ,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या पूर्व में ही कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दी गई है, तथा प्रतिवेदन संख्या 64/06-07 में से भाग-2 (ब) का 01 संख्या प्रस्तर मुख्यालय द्वारा निस्तारित किया गया है, जिसकी आख्या संलग्न है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग (पिथौरागढ़)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री दीप चन्द पाण्डेय	अधि. अभि.	विगत लेखापरीक्षा से 15/10/15 तक।
2.	श्री भुवन चन्द्र पन्त	अधि. अभि.	15/10/15 से 20/03/16 तक।
3.	श्री पूरन चन्द्र जोशी	अधि. अभि.	21/03/16 से 06/06/16 तक।
4.	श्री धीरेन्द्र कुमार	अधि. अभि.	06/06/16 से 21/12/16 तक।
5.	श्री भुवन चन्द्र पन्त	अधि. अभि.	21/12/16 से 18/12/17 तक ।
6.	श्री मोहन चन्द्र पलडिया	अधि. अभि.	18/12/17 से वर्तमान तक ।

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री सुबोध कुमार	खंडीय लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग (पिथौरागढ़)** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II